

बिन्दु सं० –5

अपने द्वारा अथवा अपने नियंत्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लागू किये गये नियम, विनियम, अनुदूश, निदेशिका, दस्तावेज:—

शासन द्वारा बनाई गई नियम व अधिष्ठान सम्बन्धी नियम ही लागू होते हैं। अन्य कोई नियम या अधिनियम विभाग द्वारा नहीं बनाये गये हैं।